

PCPO's Sl.No.135/2019

No. E/90/O/ECR/HJP

Dated:- 18.07.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/ प्रशासन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/ पटना।
9. प्राचार्य/ क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/ कार्याधी/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

विषय : ग्रुप "सी" में पदोन्नति एवं ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" में पदोन्नति हेतु चयन-उपर्युक्त चयन के लिए आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति एवं नियमों के संबंध में प्रश्न शामिल करना।


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.हिन्दी-2010/राभा-1/10/4 Dated: 03.07.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.


 (सौरभ सावर्ण)
 वकाधि/ ई.एस.एम
 कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/ हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ ईसीआरकेयू/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
2. महासचिव/ एस0.सी0./ एस0.टी0./ एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/ हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ ओ.बी.सी.एशोसिएशन/ पू.म.रे/ हाजीपुर।

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व मध्य रेल, हजलीपुर

07
10/11/19

370357 2019

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

08 JUL 2019

रेलवे बोर्ड का पत्र प्रमाण सं० १

सं. हिंदी-2010/राभा-1/10/4



नई दिल्ली, दिनांक: 03/07/2019

महाप्रबंधक,

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने.
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता.
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद.

महानिदेशक,

अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ.
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

डीजल रेलइंजन आधुनिकीकरण कारखाना,
पटियाला

निदेशक,

इरिसेट, सिकंदराबाद.
इरिएन, नासिक रोड.
इरिसेन, पुणे.
इरिमि, जमालपुर.
इरिटिम, लखनऊ.

ज.रा.रे.सु.ब.अकादमी, लखनऊ.

प्रबंध निदेशक,

रेल मंत्रालय के अधीनस्थ
सभी उपक्रम.
रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण,
दिल्ली.

विषय : ग्रुप "सी" में पदोन्नति एवं ग्रुप "सी" से ग्रुप "बी" में पदोन्नति हेतु चयन-
उपर्युक्त चयन के लिए आयोजित की जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में
राजभाषा नीति एवं नियमों के संबंध में प्रश्न शामिल करना ।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 14/12/2016 का समसंख्यक पत्र ।

बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र के तहत ग्रुप "सी" में पदोन्नति एवं ग्रुप "सी" से
ग्रुप "बी" में पदोन्नति के लिए ली जाने वाली विभागीय परीक्षाओं में राजभाषा नीति एवं
नियमों के संबंध में प्रश्न शामिल किए जाने हेतु अनुदेश जारी किए गए थे।

इसमें निर्धारित कुल अंकों अर्थात् 150 में से 15 अंक राजभाषा नीति एवं नियमों के
के तहत इन चयनों में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया गया है और कुल अंकों को 150
से घटाकर 100 कर दिया गया है।


प्रमुकाधि
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राजिए भी निर्धारित किए गए थे। बोर्ड के दिनांक 19/03/2019 के पत्र सं. ई(जीपी)2018/2/31
उप मुकाधि/मा के तहत इन चयनों में प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया गया है और कुल अंकों को 150
उप मुकाधि/आईआर से घटाकर 100 कर दिया गया है।
वकाधि
सकाधि
विधि अधिकारी
सलाहकार (का)

17-7-19
SP/np/E
10/11/19

जहां तक "सी" से गुप "बी" पदों पर पदोन्नति के लिए चयन करने का संबंध है, बोर्ड द्वारा अब यह विनिश्चय किया गया है कि कुल 100 अंकों में से 10% अंक राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियमों के प्रश्नों के लिए निर्धारित किए जाएं। इस संबंध में अन्य दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

इसे स्थापना निदेशालय के परामर्श से जारी किया जा रहा है।

कृपया पावती दें।


03/7/18
(डॉ बरुण कुमार)
निदेशक, राजभाषा
रेलवे बोर्ड

- प्रतिलिपि :
1. निदेशक ई.(जीसी)
 2. ईआरबी-I, ईआरबी-II, ईआरबी-III, ई(एनजी)-I, ई(एनजी)-II
 3. सुरक्षा (स्था.) शाखा, रेलवे बोर्ड.